15

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 64 / 2020

फूलाराम सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी, मोतीसिंह की ढाणी, जांगिड मंगल भवन के पास, वार्ड न0 51, बगड रोड, झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 15.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 64 / 2020 पर दिनांक 08.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1297 दिनांक 09.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर / आर0टी0आई0 / 77 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जगमाल पुत्र श्री लिछमण राम सैनी, निवासी झीला वाली ढाणी की गोचर भूमि मे मकान किस खसरा नं0 पर बना रखा व नया व पुराना मकान व कितने हैक्टर जमीन पर कब्जा कर रखा है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का राजस्व रिकार्ड मे कोई अंकन नही है तथा आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है जो इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर / आर0टी0आई0 / 2020 / 75 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक रीडर / आर0टी0आई0 / 77 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जगमाल पुत्र श्री लिछमण राम सैनी, निवासी झीला वाली ढाणी की गोचर भूमि मे मकान किस खसरा नं0 पर बना रखा व नया व पुराना मकान व कितने हैक्टर जमीन पर कब्जा कर रखा है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का राजस्व रिकार्ड मे कोई अंकन नही है तथा आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। उनके कार्यालय के पत्र कमांक रीडर / आर0टी0आई0 / 2020 / 75 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। चूंकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे ख0न0 141 ग्राम झीलावाली ढाणी ग्राम पंचायत कासिमपुरा का स्पष्ट उल्लेख कर सूचना चाही गई है। **अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा लो0सू0अ0 (तहसीलदार) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सात दिन मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।**
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
15/10/2020